राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर
नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर

क्रमांकः 4(1)आरजे / रेरा / 2017 / डी– 2353 दिनांक : 9-04-2019

आदेश

दी रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डवलपमेंट) एक्ट, 2016 की धारा 3 के तहत ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण उक्त अधिनियम के संगत प्रावधान लागू होने की दिनांक (01.05.2017) से 3 माह की अवधि में किया जाना अनिवार्य था। निर्धारित अवधि दिनांक 31.07.2017 को समाप्त हो चुकी है। अधिनियम की धारा 59(1) के प्रावधानानुसार जिन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स का पंजीकरण निर्धारित अवधि में नहीं किया गया है, उनके पंजीकरण हेतु अवधि विस्तार ऑथोरिटी द्वारा निर्धारित पेनल्टी के साथ किये जाने का प्रावधान है।

इस संबंध में पूर्व में जारी आदेश दिनांक 10.08.2017, 05.09.2017 व 24.04.2018 के अतिक्रमण में, निर्धारित अवधि के पश्चात् ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के पंजीकरण हेतु निम्नानुसार शास्ति निर्धारित की जाती है :–

1. निर्धारित तिथि 31.07.2017 के पश्चात्, दिनांक 31.07.2019 तक पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर, निर्धारित पंजीकरण शुल्क एवं शास्ति के रूप में पंजीकरण शुल्क की 4 गुना राशि ली जाकर आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

2. दिनांक 31.07.2019 के पश्चात्, दिनांक 31.12.2019 तक आवेदन करने पर, अथवा विलम्ब से आवेदित प्रकरणों में उपरोक्त बिन्दु सं. 1 के अनुसार दिनांक 31.07.2019 तक पेनल्टी राशि जमा नहीं कराने पर, निर्धारित पंजीकरण शुल्क एवं शास्ति के रूप में पंजीकरण शुल्क की 10 गुना राशि ली जाकर आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

3. दिनांक 31.12.2019 के पश्चात् आवेदन करने पर, अथवा विलम्ब से आवेदित प्रकरणों में उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 व 2 के अनुसार दिनांक 31.12.2019 तक पेनल्टी राशि जमा नहीं कराने पर, ऑथोरिटी के निर्णयानुसार, प्रोजेक्ट लागत की 10 प्रतिशत तक की शास्ति आरोपित की जा सकेगी, जो निर्धारित पंजीकरण शुल्क के अतिरिक्त वसूल की जाकर आवेदन स्वीकार किये जा सकेंगे।

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगा। सभी लम्बित प्रकरण इसके अनुसार निस्तारित किए जायेंगे। परन्तु जिन प्रकरणों में पूर्व में जारी आदेशानुसार शास्ति राशि जमा हो चुकी है ऐसे प्रकरणों को रि–ओपन (Reopen) नहीं किया जायेगा।

यह आदेश अध्यक्ष महोदय, राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी, जयपुर से अनुमोदित है।

9/4

(सतीश कुमार शर्मा)
रजिस्ट्रार
रेरा, राजस्थान

Scanned with CamScanner